्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :– श्री जयसिंह आर.ए.एस.

प्र0न0 – 03/2021(2021/00033)

उनवान : –

1. राजकैलाश पुत्र रामेश्वरलाल जाति जाट निवासी साहूवाला तहसील भादरा।

प्रार्थी

बनाम

1. नरेन्द्र पुत्र रामेश्वरलाल जाति जाट निवासी साहूवाला तहसील भादरा।
2. बालकिशन पुत्र रामेश्वरलाल जाति जाट निवासी साहूवाला तहसील भादरा।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत रास्ता
अन्तर्गत धारा 8(2) राज0 को0 कन्डीशन सपठित
धारा 251ए राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :– श्री मुंशीराम गोस्वामी प्रार्थी
श्री सुरेन्द्र मील अप्रार्थीगण

निर्णय दिनांक : 04/02/21

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 6 एसडीआर के मु0न0 80 के किला न0 19, 20 प्रत्येक की 0.253 है0, किला न0 22/2 की 0.126 है0 नहरी खातेदारी कृषि भूमि प्रार्थी राजकैलाश के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है।

इसी प्रकार उक्त चक 6 एसडीआर के मुरब्बा न0 80 के किला न0 11 की 0.253 है0 अप्रार्थी बालकिशन के नाम एवं मु0 न0 80 के किला न0 10 की 0.253 है0 नरेन्द्र के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है।

प्रार्थी की खातेदारी में आवागमन के लिये चक 6 एसडीआर के ही मुरब्बा नम्बर 80 के पश्चिमी तरफ वाले चिपते हुये मुरब्बा नम्बर में ही किला न0 5 व 6 में स्वीकृतशुदा रास्ता है जिससे होकर अप्रार्थी नरेन्द्र के नाम दर्ज चक 6 एसडीआर के मु0 न0 80 के किला न0 10 में दक्षिणी तरफ पश्चिम से पूर्व 82–1/2 फीट लम्बाई में जाकर अप्रार्थी बालकृष्ण चक 6 एसडीआर के मु0 न0 80 के किला नम्बर 11 के बीचों बीच उत्तर से दक्षिण के लिये एवं प्रार्थी चक 6 एसडीआर के मु0 न0 80 के किला नम्बर 19, 20 में उत्तरी तरफ किला लाईन पर 16–1/2 फीट चौड़े रास्ते से होकर आवागमन कर रहा है। परन्तु उक्त रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है इसके अलावा प्रार्थी का अपने खातेदारी में आवागमन हेतु अन्य कोई रास्ता स्वीकृत अथवा अर्...

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। नोटिस तामिल होने के उपरान्त प्रार्थी व अप्रार्थीगण ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.09.24 10:11:32 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

प्रकरण संख्या 03/21 अनुवान राजकैलाश बनाम नरेन्द्र आदि बाबत रास्ता

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने कथन किया कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण के मध्य राजीनामा पेश हो चुका है। राजीनामा की भावना से रास्ता स्वीकृत करवाना चाहते है, जो सदामत से चला आ रहा है। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण ने जाहिर किया कि रास्ता के रूप में उपयोग ली जा रही भूमि संयुक्त रूप से है तथा वाहमी राजीनामा अनुसार रास्ता स्वीकृत करने की सहमति दी है।

विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। राजीनामा के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है कि रोही मौजा चक 6 एसडीआर के मु0 न0 80 के किला न0 10 में दक्षिणी तरफ किला लाईन के पास–पास पश्चिम से पूर्व के लिये 82–1/2 फीट लम्बाई व 8–1/4 फीट चौड़ाई में, किला न0 11 के बीचों बीच 165 फीट लम्बाई व 16–1/2 फीट चौड़ाई व किला न0 19, 20 में उतरी तरफ पश्चिम से पूर्व के लिये किला लाईन के पास–पास 16–1/2 फीट चौड़ाई का रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने हेतु निवेदन किया है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 251ए सपठित धारा 8(2) कॉलोनाईजेशन एक्ट का मुताबिक राजीनामा स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है कि किया जाता है कि रोही मौजा चक 6 एसडीआर के मु0 न0 80 के किला न0 10 में दक्षिणी तरफ किला लाईन के पास–पास पश्चिम से पूर्व के लिये 82–1/2 फीट लम्बाई व 8–1/4 फीट चौड़ाई में, किला न0 11 के बीचों बीच 165 फीट लम्बाई व 16–1/2 फीट चौड़ाई व किला न0 19, 20 में उतरी तरफ पश्चिम से पूर्व के लिये किला लाईन के पास–पास 16–1/2 फीट चौड़ाई का रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जावें। तहसीलदार भादरा के नाम आदेश जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 04/02/21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.09.24 10:11:32 IST
Reason: SelfAttested

(जयसिंह)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला हनुमानगढ़)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला-हनुमानगढ़